



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

क/एफ-169/स्टे.आयु./2022-23/4405

भिलाई, दिनांक 05.7.2022

// आदेश //

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिनियम की धारा-80 के अंतर्गत आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग हेतु श्री ए.के. द्विवेदी, अपर आयुक्त, न.पा.नि. भिलाई को राजस्व एवं संपदा विभाग के प्रकरणों के लिये नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के भूखण्ड आबंटन के प्रकरणों के लिए नियमानुसार लीज नवीनीकरण एवं लीज होल्ड से फी होल्ड के पंजीयन हेतु सक्षम स्वीकृति उपरान्त लीजडीड में हस्ताक्षर करने के लिए, आयुक्त की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(लोकेश चन्द्राकर)
रा.प्र.से.

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 05/07/2022

पृ. क/एफ-166/स्टे.आयु./2022-23/4406

प्रतिलिपि:-

1. महापौर/सभापति महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. श्री ए.के. द्विवेदी, अपर आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, जोन-1,2,3,4 एवं 5, जलकार्य/वाहन/स्टोर्स/उद्यान/कम्प्युटर/भवन संधारण, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
6. संबंधित विभाग प्रमुख नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई